

पत्रांक

दिनांक, चम्पावत

14-8-2018।

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
लोहाघाट।

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशाषी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, चम्पावत का पत्रांक 1118/2सी दि0 24.07.2018।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि लो0नि0वि0 चम्पावत को विभिन्न वन भूमि हानि प्रकरणों के सापेक्ष अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना की आवश्यकता है। अतः आप अपने क्षेत्र में कुल 70.00 हे0 अवनत वन भूमि चिन्हित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध कर सुनिश्चित करें।

भवदीय

(कुबेर सिंह बिष्ट)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

पत्रांक

520 / 12-1

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, प्रा0ख0,, लो0नि0वि0 चम्पावत को उनके उक्त संदर्भित पत्र के क्रम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कुबेर सिंह बिष्ट)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।